

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 अप्रैल 2022—चैत्र 18, शक 1944

## भाग ४

विषय-सूची

- |                            |                               |                                  |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश,          | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,       | (3) संसद के अधिनियम.             |
| (ग) (1) प्रारूप नियम,      | (2) अन्तिम नियम.              |                                  |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 अप्रैल 2022

क्र. एफ 3-37-2019-अडसठ.—विभागीय आदेश क्रमांक एफ 7-2-2012-06, मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 26 जून 2012 को प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-2-2012-06, दिनांक 25 जून 2012 द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना नियम, 2012 में एतद्वारा निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:—

- (1) मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना नियम, 2012 के परिशिष्ट (एक) में वर्णित में तीर्थ स्थानों की सूची में निम्नानुसार तीर्थ स्थान का नाम जोड़ा जाता है:—
  - (34) अयोध्या (उत्तरप्रदेश)
  - (35) मण्डावरी, जिला-दौसा (राजस्थान)
- (2) मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना नियम के परिशिष्ट (दो) में वर्णित युग्म तीर्थ स्थानों की सूची में निम्नानुसार तीर्थ स्थान का नाम जोड़ा जाता है:—
  - (8) काशी-अयोध्या (उत्तरप्रदेश)

शेष शर्तें पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 7-2-2012-6, दिनांक 26 जून 2012 के अनुसार रहेंगी. यह संशोधन राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से लागू माना जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पुष्पा कुलेश, उपसचिव.